आदेश

दिनांक–15.09.2020 से परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण सत्र इस संस्थान में प्रारम्भ किया जा रहा है। प्रशिक्षण की अवधि में सभी प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक झारखण्ड पुलिस अकादमी के मेस नं0–01 में रहेंगे। सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के दरमयान क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, जो निम्न प्रकार से हैं :–

* क्या करना है–

1. यूनिफार्म :–

I) पी0टी0 के लिए

1. सफेद हाफ पैन्ट (महिलाये सफेद फुल पैन्ट)
2. सफेद कॉलर वाली टी0 शर्ट जिसमें बटन लगा हो।
3. सफेद पी0टी0 शु एवं सफेद मौजा।

II) परेड के लिए

1. विगन शेड नं0–01 का खाकी फुल पैन्ट।
2. खाकी पूरी बॉह की कमीज (सलुला)।
3. ब्लू वेरेट जिसमें दाहिनी तरफ फोल्ड आ सके।
4. नेवार बेल्ट बकल के साथ।
5. हाई एंकल बूट डार्क टेन एवं खाकी ऊनी मोजा।
6. ब्लू ह्विसल कॉर्ड ह्विसल के साथ।

III) क्लास के लिए

1. विगन शेड नं0–01 का खाकी फुलपैन्ट टेरीकाटन।
2. खाकी पूरी बॉह की कमीज (टेरीकाटन)।
3. पीक कैप।
4. जे0पी0एस0 सोल्डर बैज एवं एक स्टार प्रत्येक कन्धे पर।
5. चमड़े का बेल्ट जे0पी0एस0 मोनोग्राम के साथ।
6. डार्क टेन रंग का आक्सफोर्ड शू खाकी मोजा के साथ।
7. ब्लू ह्विसल कॉर्ड ह्विसल के साथ।

IV) घुड़सवारी के लिए

1. ब्रिचेज (खाकी)
2. खाकी शर्ट
3. नेवार बेल्ट
4. पिथ हेलमेट
5. हाई एंकल बूट (फ्लैट सोल) खाकी मोजा के साथ।
6. ब्लू ह्विसल कॉर्ड ह्विसल के साथ।

V) समारोह के अवसर पर

1. खाकी टयूनिक, खाकी शर्ट खाकी फुलपैन्ट।
2. जे0पी0एस0 बैज एवं दोनों कंधे पर एक–एक स्टार ब्लू ह्विसल कॉर्ड ह्विसल के साथ।
3. सैम ब्राउन बेल्ट तथा जे0पी0एस0 की तलवार।
4. हाई एंकल बूट।
5. विगन शेड नं0 01 (खाकी) का पीक कैप।
6. ब्लू टाई
7. ब्लू ह्विसल कॉर्ड ह्विसल के साथ।

VI) मेस नाईट/अन्य समारोह

1. ब्लू पैन्ट
2. सफेद शर्ट
3. ब्लू टाई
4. काला जूता मोजा के साथ।
5. ब्लू ब्लेजर

VII) **हथियार प्रशिक्षण/फायरिंग के लिए** :–केमोफ्लैज ड्रेस, जंगल कैप, नायलॉन फैबरीक बेल्ट (काला) एवं विहसिल कार्ड (काला), जंगल हंटर शूज।

2. अवकाश की आवश्यकता पड़ने पर निदेशक अथवा सहायक निदेशक (प्रशा0) द्वारा अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात ही झारखण्ड पुलिस अकादमी के परिसर को छोड़ सकते है।
3. अवकाश विशेष परिस्थिति में ही देय होगा। पी0टी0सी0 रूल 17(अ) के अनुसार पूरे प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष में केवल 10 दिनों का आकस्मिक अवकाश ही स्वीकृत होगा।
4. संस्थान के मर्यादा के अनुकूल प्रशिक्षुओं का उच्चतम श्रेणी का अनुशासन बनाये रखना होगा। नियम विरोधी आचरण करने पर संबंधित प्रशिक्षु के विरूध कार्रवाई की जायेगी।
5. रविवार या राज्यपत्रित अवकाश में प्रशिक्षु प्रातः कालिन एवं संध्या कालिन रोल कॉल के बीच कुछ समय के लिए मेस नं0–01 परिसर से बाहर जा सकेगें परन्तु इसके लिए मेस प्रभारी की अनुमति अनिवार्य होगी।
6. मेस से परेड मैदान तक आने–जाने के क्रम में अनुशासित ढंग से क्रमवद्ध होकर चलेंगे।
7. अवकाश में प्रस्थान एवं आगमन के समय अपना प्रस्थान एवं आगमन प्रतिवेदन मुख्य विधि अनुदेशक के माध्यम से द्वितीय लिपिक/प्रशिक्षण शाखा को संबंधित कम्पनी प्रभारी/हवलदार के द्वारा समर्पित किया जायेगा।
8. प्रत्येक गुरूवार को साप्ताहिक निरीक्षण प्रातः 08.00 बजे किया जायेगा। निरीक्षण के क्रम में सभी प्रशिक्षु बाल, दाढ़ी बना कर कमरों को साफ रखेगें एवं वर्दी में रहेगें।
9. रात्रि विश्राम 11.00 बजे सुनिश्चित की गयी है, जिसका दृढ़ता से पालन किया जाय।
10. प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए पुरे प्रशिक्षण सत्रकाल में झारखण्ड पुलिस अकादमी के सभी अन्तः एवं बाह्य अनुदेशक, आरक्षी से पुलिस निरीक्षक तक उनसे सीनियर हैं, उन्हें जय हिन्द सर से सम्बोधित करेंगे या सैल्युट करेंगे।
11. संध्या गिनती के उपरान्त 08.30 तक यदि आवश्यक हो तो मेस प्रभारी से अनुमति लेने के उपरांत बाजार जा सकेंगे। बाजार में अपना अनुशासन एवं श्रेष्ठ आचरण बनाये रखेंगे।
12. किसी भी प्रकार की बिमारी एवं अस्वस्थता के स्थिति में झारखण्ड पुलिस अकादमी में प्रतिनियुक्त चिकित्सक से प्रशिक्षु अपना ईलाज करायेंगे। इसके बाद यदि आवश्यकता होती है तो उन्हें सदर अस्पताल या उच्चतर इलाज हेतु रिम्स राँची में सदर अस्पताल के चिकित्सक द्वारा अग्रसारित किया जायेगा।
13. मेस से अकादमी आने एवं जाने हेतु बस की व्यवस्था है। बस में सभी प्रशिक्षु अनुशासित ढंग से चढ़ेंगे एवं उतरेंगे एवं रास्ते में अनुशासन बनाये रखेंगे।
14. मेस मे सभी प्रशिक्षु Dinning कक्ष में ही खाना खायेंगे, मेस में प्रशिक्षु पैन्ट शर्ट एवं जूता पहन कर खाना खायेगे।
15. सभी प्रशिक्षुओं को अन्तः एवं बाह्य कक्षा मे स–समय उपस्थित होना अनिवार्य है।
16. प्रशिक्षुओं को जो भी कमरा आवंटित किया गया है उसमें दिये गये उपस्कारों एवं समानों की देखभाल एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित प्रशिक्षु की होगी, उपस्कार या सामान टुटे हुये या गायब पाये जाय तो उस सामान का मुल्य प्रशिक्षु द्वारा वहन किया जायेगा।
17. कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पूर्णत पालन करेंगे।

18. प्रशिक्षुगण अपने भोजनादि हेतु मेस स्वयं अपने देख रेख एवं खर्च से चलायेंगे। इसके लिए उन्हें सरकारी कुक तथा खाना बनाने के बर्तन की आपूर्ति इस संस्थान के द्वारा किया जायेगा। मेस नं0 –01 में बने भोजन नास्ते का पूर्व से बने मेनु के अनुसार ये अपना भोजन मेनु बनायेंगे। आवश्यकतानुसार वे इस में परिवर्तन ला सकते हैं।
19. दो (02) प्रशिक्षु प्रत्येक दो (02) माह के लिए मेस मैनेजर के रूप में निर्वाचित किये जायेंगे, जो कि मेस का सारा व्यवस्था दो (02) माह के लिए देखेंगे। दो (02) माह के बाद मेस मैनेजर रोटेशन के आधार पर बदल दिये जायेंगे। मेस मैनेजरगण प्रतिदिन मेस का खर्चा नियमित रूप से मेस रजिस्टर में लिखेंगे, जिसे प्रतिमाह 01 या 02 तारिख को सारे प्रशिक्षुगण तथा मेस नं0–01 के प्रभारी को दिखायेंगे। प्रशिक्षुगण अगर चाहेंगे तो मेस के कार्यों में मेस के हवलदार का सहयोग ले सकते हैं।
20. विशेष परिस्थिति में प्रशिक्षुओं के परिजन आने पर, वे मेस नं0–01 के अतिथि रजिस्टर (भिजिटर रजिस्टर) में आवश्यक रूप से अपने आने संबंधी प्रविष्टि करेंगे। मेस हवलदार इस विषय पर विशेष ध्यान देंगे।
21. प्रशिक्षुगण ऊपर हॉल में लगे टी0वी0 लीजर के समय देख सकते हैं परन्तु रात्रि (09:00) बजे के बाद हॉल बन्द कर दिया जायेगा।
22. मेस नं0–01 में आधुनिक जिम की व्यवस्था है, जिसका उपयोग प्रशिक्षुगण अकादमी के रूटीन के अतिरिक्त समय में जिम ट्रेनर के देख रेख में कर सकते हैं।
23. प्रशिक्षु कमरे में पूर्व से लगे उपकरणों के अतिरिक्त कोई भी अन्य विधुत उपकरण जैसे रूम हीटर, कुलर, पंखा ईत्यादि नहीं लगायेंगे।

* क्या नहीं करे–

1. सभी प्रशिक्षु बिना इस्त्री किये कपड़े नहीं पहनेंगे एवं बड़े बाल तथा दाढ़ी में नहीं रहेंगे।
2. कोई भी प्रशिक्षु अपने साथ कोई पारिवारिक सदस्य को नहीं रखेंगे।
3. मेस, ऑफिस या किसी अन्य जगह शराब, सिगरेट या अन्य किसी प्रकार का नशा का सेवन करना सख्त मना है, पकड़े जाने पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी।
4. यदि किसी प्रशिक्षुओं को यत्र–तत्र खाना फेकते हुये पाया गया तो उनसे जुर्माना राशि वसूल की जायेगी।
5. कोई भी प्रशिक्षु खाना अपने कमरे में नहीं ले जायेंगे। विशेष परिस्थिति में कोई प्रशिक्षु बीमार होने पर मेस प्रभारी के अनुमति से ही अपने रूम में भोजन कर सकते हैं।
6. किसी भी परिस्थिति में प्रशिक्षु पायजामा, लुंगी, गंजी, स्लिपर, चप्पल आदि पहनकर भोजनालय में प्रवेश नहीं करेंगे।
7. प्रशिक्षु अपने साथ किसी प्रकार का कोई हथियार या किसी प्रकार का वाहन नहीं रखेंगे।
8. प्रशिक्षु अपने साथ किमती समान नहीं लायें।
9. Moral Terpitude सबसे घृणित अपराध है, ऐसे मामलो में बिना Proceeding के बर्खास्त किया जा सकता है।
10. किसी भी परिस्थिति में संस्थान के ऐडमिन ब्लॉक अथवा कार्यालयों में आना मना है, कोई भी समस्या होने पर मुख्य विधि अनुदेशक/कम्पनी कमाण्डर से सम्पर्क करें एवं आवश्यकता अनुसार बुलाये जाने पर ही प्रशिक्षु ऐडमिन ब्लॉक में आयें।

प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्ष्यमान पदाधिकारी झा0पु0अका0 द्वारा तैयार किये गये अन्तः एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखण्ड पुलिस अकादमी के मैदान में प्रातः एवं संध्या का बाह्य प्रशिक्षण चलाया जायेगा, जो सहायक निदेशक (बाह्य) एवं परिधारी प्रवर के देख रेख में किया जायेगा। अन्तः विषयो का प्रशिक्षण कार्यक्रम झारखण्ड पुलिस अकादमी के मुख्य भवन/नवनिर्मित मेस नं0–01 में चलाया जायेगा जो सहायक निदेशक (अन्तः) एवं मुख्य विधि अनुदेशक के देख रेख में किया जायेगा। प्रत्येक सप्ताह का कार्यक्रम पिछले सप्ताह के शुक्रवार तक तैयार कर प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करा दिया जायेगा, मुख्य विधि अनुदेशक इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक 15 दिनों में एक पाक्षिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। पाक्षिक परीक्षा के प्राप्तांक ही प्रशिक्षुओं के आंतरिक मुल्यांकन के आधार होंगे। प्रशिक्षण सत्र के अंत में आयोजित अंतिम परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

झारखण्ड राज्य के अहम पदाधिकारी होने के नाते प्रत्येक प्रशिक्षु का आचरण एवं व्यवहार प्रशिक्षण संस्थान परिसर एवं बाहर में भी उच्च कोटि का होना चाहिये। किसी भी प्रकार का अनुशासनहीन आचरण करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। गंभीर आरोपों के लिए उनके प्रशिक्षण अवधि का विस्तार एवं सेवा मुक्ति का भी अनुशंसा की जा सकती है।

निदेशक
झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग।

ज्ञापांक–1526 /परि0प्रवर
निदेशक का कार्यालय,
झारखण्ड पुलिस अकादमी,हजारीबाग।

दिनांक– 05/09/2020

प्रतिलिपिः–सहायक निदेशक (प्रशा0), (अन्तः), (बाह्य), (एच.आर.एम.एस.)/मु0वि0अनु0/परिवहन प्रभारी /कम्प्यूटर शाखा/जी0पी0 प्रभारी/प्रशिक्षण शाखा/प्रभारी मेस नं0–01/दिवा कार्यालय/ एडजुटेंट/बी0एच0एम0/परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक सुश्री अंकिता राय, श्री प्रदीप कुमार, श्री रोहित रंजन सिंह, श्री सुरेश प्रसाद यादव, श्री रोहित कुमार रजवार एवं श्री धनंजय कुमार राम को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

निदेशक
झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग।